न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ, जिला बॉसवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.)
प्रकरण संख्या – 01/2024 दायर दिनांकः– 22.02.2024
ऑनलाईन प्रकरण सं. – 2024/2 निर्णय दिनांकः– 26.06.2024

हरिशचन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री धुलजी जाति राजपुत आयु व्यस्क निवासी कुशलगढ़, तहसील कुशलगढ़।

बनाम

भुमिधारी तहसीलदार, कुशलगढ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 इन्द्राज दुरस्ती

–::निर्णय::–

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत खाते में आराजी नम्बर 17/3 रकबा 0.3116 है0 (0.77 एकड) लगान 0.4800 रूपया का तथा आनॅलाईन ,नक्शे मे आराजी नम्बर 170/3 की बजाय 17/3 शुद्धि करने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुशलगढ पटवार मण्डल कुशलगढ में उक्त मुल आराजी नम्बर 17 रकबा 2.40 एकड जिसका पूर्व सहखातेदारों के बीच विभाजन होकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 760 से विभाजीत खेत नम्बर 17/3 रकबा 0.3116 हैक्टेयर (0.77 एकड़) के रूप में प्रार्थी को विभाजन में प्राप्त हुआ होकर राजस्व रेकार्ड दर्ज हुआ जिसका उल्लेख उक्त खेत की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में दर्ज होकर तत्कालीन ऑफ लाईन नक्शा में प्रार्थी के आराजी नंबर 17/3 रकबा 0.3116 हैक्टेयर (0.77 एकड) की सही रूप से तरमीम भी हो चुकी हैं लेकिन इसके पश्चात उक्त खेत की कम्प्यूटर में ऑनलाईन फिडींग करते समय लेखनी की त्रुटी से एवं नजर चुक से प्रार्थी के खातेदारी आराजी नंबर 17/3 रकबा 0.3116 हैक्टेयर के स्थान पर 170 रकबा 0.3116 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड करके कम्प्यूटर में ऑन लाईन नक्षा में गलत स्थान पर तरमीम कर दी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि ऑन लाईन जमावदी व नक्षा में शुद्धि कर इन्द्राज दुरस्ती नहीं होने पर निकट भविष्य में प्रार्थी को अपुरणिय क्षति होगी। जिसको दुरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार, तहसील कुशलगढ़ को पत्र जारी कर तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट हेतु लिखा गया, जिस संबंध में तहसीलदार कुशलगढ़ ने अपनी जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कुशलगढ़ की जमाबंदी खतौनी संवत् 2070–73 तक में खाता संख्या 172 नया व खाता संख्या 182 पुराना में दर्ज रिकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 17 रकबा 2.40 एकड किस्म का.2 श्री विजयपालसिंह, गिरीश सिंह व हरिशचन्द्रसिंह पिता धुलजी जाति राजपुत सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड था। जरिये बंटवारा आदेश क्रमांक 259 दिनांक 19.06.2018 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 760 दिनांक 03.07.2018 से तीनों भाईयो के नाम बंटवारा दर्ज किया गया। जिसमें हरिशचन्द्र पिता धुलजी के नाम मुल खसरा संख्या 17 के विभाजन से खसरा संख्या 17/3 रकबा 0.77 एकड किस्म का.2 लगान 1.16 रू राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। प्रार्थी के भाई व भतीजे का जमाबंदी

Scanned with CamScanner

खाता संख्या यथावत रहकर राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज होकर जमावंदी में दर्ज है। परन्तु हरिशचन्द्र धुलजी का खसरा संख्या 17/3 वक्त सेग्रीगेशन में सहवन से 17/3 की वजाय 170/3 दर्ज हो गया व इसी खसरा संख्या 170 के मुल खातेदार कविता, जितेन्द्र, वसन्ती/रमेशचंद्र, शंकरलाल, धुलजी के खसरा संख्या 170 ऑनलाईन नक्शे में 170/3 दर्ज हो गया, जो कि 170 ही दर्ज होना था। जबकि जमावंदी में 170 रकवा 0.0243 ही दर्ज है, जो कि सही है। ऑनलाईन नक्शे एवं जमावंदी में 17/3 को 170/3 दर्शाया जो कि गलत है। खसरा नम्बर 17 में हिस्सा 17/1 व 17/2 दर्ज होकर ऑनलाईन नक्शे में दर्शाया जा रहा है। परन्तु त्रुटीवश खसरा नम्बर 17/3 का हिस्सा मूल खसरा नम्बर 17 में न होकर 170/3 मूल खसरा संख्या 170 में दर्शाया जा रहा है। जिससे प्रार्थी के खसरा संख्या 17 में तरमीम शुद्धि किया जाना उचित है एवं खसरा संख्या 170/3 को मूल खसरा नम्बर 170 में मर्ज किया जाना उचित है। तहसीलदार कुशलढ ने भी राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किए जाने की अनुशंषा की है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, दस्तावेज, बयान सह खातेदार एवं तहसीलदार कुशलगढ़ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। ऑनलाईन ट्रेस के खसरा संख्या 170/3 जिसका मूल खसरा नम्बर 170 है, जो कि खातेदार कविता, जितेन्द्र, बसन्तीवाई, शंकरलाल का सहखातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज था। जो ऑनलाईन रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया। जिसकी तरमीम की प्रविष्ठि को मूल खसरा संख्या 170 में मर्ज किया जाना है। प्रार्थी का ववक्त विभाजन कार्यालय तहसीलदार कुशलगढ़ के आदेश क्रमांकः– 259 दिनांक 19.06.2008 में सलंग्न प्रस्तुत नक्शा अनुसार मूल खसरा नम्बर 17 को 03 भागो में विभाजित किया गया था। जिसमें 17/3 रकवा 0.3116 है0, 17/1 रकवा 0.3157 है0 तथा खसरा नम्बर 17/2 रकबा 0.3440 है0 दर्ज किया जाना था। परन्तु ऑनलाईन नक्षा ट्रेस में केवल 17/1 एवं 17/2 ही दर्ज किया गया है, जो कि त्रुटीपूर्ण है। जिसे पुनः मूल खसरे से विभाजित नक्षा ट्रेस अनुसार ऑनलाईन नक्षा ट्रेस में खसरा नम्बर 17/1 रकबा 0.3157 है0, खसरा नम्बर 17/2 रकबा 0.3440 है0 व खसरा नम्बर 17/3 रकवा 0.3116 है0 को दर्ज किया जाना है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2074–77 के हाल खाता संख्या 208 के खसरा संख्या 170/3 रकबा 0.3116 है0 को मूल खसरा संख्या 17 में खसरा संख्या 17/3 दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आज्ञा

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कुशलगढ़ मे कार्यालय तहसीलदार कुशलगढ़ के आदेश क्रमांक 259 दिनांक 19.06.2008 में हुए विभाजन पत्र के अनुसार मूल खसरा संख्या 17 से विभाजित खसरा संख्या 17/1 रकवा 0.3157 है0, 17/2 रकबा 0.3440 है0 व 17/3 रकबा 0.3116 है0 ऑनलाईन नक्षा ट्रेस में शुद्धि एवं मूल खसरा नम्बर 170 में 170/3 को ऑनलाईन नक्षा ट्रेस में मर्ज किया जावे। तथा जमाबंदी संवत 2074–77 खाता संख्या 208 के खसरा संख्या 170/3 रकबा 0.3116 के बजाय खसरा नम्बर 17/3 रकबा 0.3116 है0 शुद्धि किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष बदस्तुर रहे। तहसीलदार कुशलगढ उक्तानुसार खाता शुद्धि कर अमलदरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner